भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3053

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

नागालैंड में चार लेन राजमार्ग

3053. श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी:

श्री बलभद्र माझी:

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागालैंड में दीमापुर और कोहिमा के बीच नए चार-लेन राजमार्ग (पैकेज II) से किस प्रकार कोहिमा और दीमापुर तथा राज्य के अन्य प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार होगा;

(ख) इस खंड के पूरा होने की अपेक्षित तिथि क्या है और किन मानकों पर सहमति बनी है; और

(ग) परियोजना का गुणवत्ता, लागत-प्रभावशीलता और स्थिरता मानकों को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) दीमापुर-कोहिमा सड़क, जिसमें दीमापुर बाईपास भी शामिल है, की परिकल्पना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) के अंतर्गत इस क्षेत्र में 4-लेन राजमार्ग के रूप में की गई थी, जिसकी कुल लंबाई लगभग 78 किमी है और यह मैदानी और पहाड़ी इलाकों में फैला है। इस गलियारे ने नागालैंड के वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर और राज्य की राजधानी कोहिमा के बीच संपर्कता में उल्लेखनीय सुधार किया है, साथ ही मणिपुर के साथ अंतर-राज्यीय संपर्कता को भी बढ़ाया है। इसके पूरा होने से यात्रा का समय तीन घंटे तक कम हुआ है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, पर्यटन में सुधार हुआ है, रेशम उत्पादन को बढ़ावा मिला है, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिला है और दूरदराज के क्षेत्रों तक बेहतर संपर्क की सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) दीमापुर-कोहिमा सड़क को पाँच पैकेजों में विभाजित किया गया है:

i. दीमापुर बाईपास सड़क (असम और नागालैंड भाग) के दो पैकेज पूरे हो चुके हैं और रखरखाव अवधि में हैं।

ii. दीमापुर-कोहिमा सड़क (पैकेज-I) ने 99.81% वास्तविक प्रगति हासिल कर ली है।

iii. दीमापुर-कोहिमा सड़क (पैकेज-II) पूरी हो चुकी है और रखरखाव के अधीन है।

iv. दीमापुर-कोहिमा सड़क (पैकेज-III): पूरा होने का संशोधित लक्ष्य जून, 2027 है।

सभी कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और मानकों के अनुसार किए जा रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि परियोजना का निर्माण आईआरसी विनिर्देशों और संहिताओं में निर्दिष्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजमार्ग निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करता है, एनएचआईडीसीएल द्वारा साइट पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकरण अभियंता/स्वतंत्र अभियंता (एई/आईई) नियुक्त किए जाते हैं। एनएचआईडीसीएल के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रियायतग्राही/संविदाकारों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इस प्रकार की जाँच/पर्यवेक्षण के दौरान यदि कोई कमियाँ पाई जाती हैं, तो उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने हेतु रियायतग्राहियों/संविदाकारों के ध्यान में लाया जाता है। किसी भी चूक की स्थिति में, संविदा समझौते के प्रावधानों के अनुसार, चूककर्ता एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

परियोजना के विभिन्न हिस्सों में गंभीर भूवैज्ञानिक चुनौतियाँ और कमजोरियाँ हैं, जिनके कारण प्रगति प्रभावित हुई है और देरी हुई है। इन समस्याओं के समाधान और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, ढलान संरक्षण उपायों और पुश तकनीक का उपयोग करके आरसीसी बॉक्स सेल वायडक्ट के निर्माण को परियोजना के दायरे में शामिल किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य संरचनात्मक स्थिरता को बढ़ाना और साथ ही दीर्घकालिक लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है।

*****